

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत।

महोदय .

निवेदन है कि ग्राम.....वांसकोरी.....जमाबंदी सं. 2013-76 के खाता सं. 189 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
	नारायण सिंह पुत्र बलु सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	189	नारायण सिंह पुत्र कालु सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	नारायण सिंह पुत्र कालु सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. अंकारजाल / मांगीजाल मैहर वांसकोरी
2. मानुजाल / कालुजाल मैहरवांसकोरी
3. ....
4. ....

हस्ताक्षर

अंकारजाल  
मानुजाल  
.....  
.....

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम वांसकोरी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर पटवारी  
प0म0. ह. कल्याण

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

भू0अभिलेख निरीक्षक  
भू0आ0नि0वृ0.....



हस्ताक्षर  
शिबिर प्रभारी  
क्रमांक: राजस्व/2025/

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम वांशशेरी के वादी/पेरोकार के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार (भू.अ.) तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
पिडावा जि. झालावाड़  
पिडावा जि. झालावाड़  
(18/11/2025)

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 197

दिनांक : 26/9/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम वांशशेरी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
पिडावा जिला झालावाड़ राज0

